भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 324
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कीटनाशकों का अनियंत्रित उपयोग

***324. डॉ. भोला सिंहः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों की खेती में कीटनाशकों के अत्यधिक या अविवेकपूर्ण उपयोग और बाजारों तक पहुंचने वाले कृषि उत्पादों में अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) से अधिक मात्रा में कीटनाशकों के अवशेष पाए जाने की समस्या के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने नमूने मिले हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों के अवशेष पाए गए हैं;

(ग) कीटनाशकों के अवशेषों के संबंध में निगरानी करने और गैर-अनुपालन वाले उत्पादों के खेत अथवा उत्पादन स्रोत का पता लगाने के लिए क्या तंत्र मौजूद है;

(घ) कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) और किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों में कीटनाशकों के दुरुपयोग के कारण उनमें निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशकों के अवशेष मौजूद होने के संबंध में निगरानी को सुदृढ़ करने और कड़ी कार्रवाई करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'कीटनाशकों का अनियंत्रित उपयोग' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 324 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) वर्ष 2005-06 से "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी" (MPRNL) परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का उदेश्य रिटेल आउटलेट, थोक बाज़ार, सहकारी समितियों, कृषि उपज बाज़ार (APMC), फ़ार्म गेट और ऑर्गेनिक आउटलेट से एकत्रित सब्ज़ियों, फलों, मसालों, अनाज, दलहन, जड़ी-बूटियों, चाय, दूध, अंडे, मांस, मछली/समुद्री भोजन और पानी आदि में कीटनाशक अवशेषों के स्तर का पता लगाना है। इन नमूनों को 40 भागीदार प्रयोगशालाओं द्वारा एकत्र किया जाता है और उनमें कीटनाशक अवशेषों की संभावित विद्यमानता की जांच की जाती है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2023-26 के दौरान, MPRNL परियोजना के तहत 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, असम, झारखंड, चंडीगढ़, दिल्ली और छत्तीसगढ़ शामिल हैं, से फल और सब्जियों के कुल 70,652 नमूने एकत्र किए गए और उनमें कीटनाशक के अवशेषों की जांच की गई। एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) से ज़्यादा कीटनाशक अवशेष केवल 2,223 (3.1%) नमूनों में पाए गए। राज्य-वार विवरण **अनुबंध I** पर दिया गया है।

MPRNL परियोजना के तहत ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, नमूना संग्रहण केन्द्रों के जीपीएस कोऑर्डिनेट लैबोरेटरी द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। फार्मगेट से लिए गए नमूनों के मामले में, फसल उगाने वाले स्थान का पता लगाया जाता है।

(घ) : MPRNL परियोजना के तहत तैयार की गई रिपोर्ट संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कृषि विभागों के साथ साझा की जाती हैं जिसका उदेश्य किसानों में जागरूकता पैदा करना और उनके लिए रजिस्ट्रेशन कमिटी (RC) द्वारा अनुशंसित लेबल क्लेम के अनुसार फसल के लिए अनुमोदित कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश भर में स्थित अपने 48 सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स (CIPMCs) और लोकस्ट-कम-सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स (LCIPMCs) के माध्यम से पौध संरक्षण उपायों पर कई तरह का प्रशिक्षण देता है जिनमें किसान फील्ड स्कूल (FFS), 2-दिवसीय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट (HRD) प्रोग्राम, बीज उपचार अभियान और कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। सभी आईपीएम पद्धतियों को एकीकृत करके फसलों को बचाने के लिए, एग्रो-इकोसिस्टम एनालिसिस (AESA) के आधार पर निर्णय लेने की किसानों की क्षमता का उन्नयन करने पर विशेष बल दिया जाता है। इन जागरूकता कार्यक्रमों में किसानों को रजिस्ट्रेशन कमेटी (RC) से अनुमोदित कीटनाशकों का उपयोग लेबल पर बताई गई मात्रा के अनुसार करने और खेती की अच्छी पद्धतियों को अपनाने की सलाह दी जा रही है ।

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान, कुल 1,353 'फार्मर्स फील्ड स्कूल' (FFS) कार्यक्रम चलाए गए, जिनसे 46,969 किसानों को लाभ हुआ; कुल 680 दो-दिवसीय एचआरडी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे 37,664 किसानों को लाभ मिला; कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग' के बारे में कुल 2,384 जागरूकता अभियान चलाए गए, जिनसे 76,702

किसानों को लाभ हुआ; और कुल 2,548 'बीज उपचार अभियान' चलाए गए, जिनसे 81,048 किसानों को लाभ हुआ। इसके अलावा, "खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना: शहरी खेती और मार्केटिंग में कीटनाशक अवशेषों को समझना और उनका प्रबंधन करना" विषय पर एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दो राज्यों नामतः असम (गुवाहाटी) में दिनांक 08.10.2024 को और गुजरात (वडोदरा) में 27.11.2024 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिनसे क्रमशः 113 और 185 प्रतिभागियों को लाभ मिला।

सरकार ने एक बड़े डिजिटल पहल के तौर पर 'नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम' (NPSS) शुरू किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल शामिल हैं। यह सिस्टम कीटों की पहचान, उनकी निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बारे में रियल-टाइम जानकारी देता है। यह सिस्टम बायो-कंट्रोल एजेंट व बायो-पेस्टिसाइड्स की प्राथमिक विकल्प के रूप में अनुशंसा करते हुए आईपीएम (IPM) को बढ़ावा देता है, साथ ही रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अनुमोदित कीटनाशकों का उपयोग केवल अवश्यकता पड़ने पर और निर्धारित मात्रा में ही करने की सलाह देता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने देश के 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 734 ज़िलों में केंद्र-प्रायोजित स्कीम "एक्सटेंशन सुधारों के लिए राज्य एक्सटेंशन कार्यक्रमों को सहायता" (ATMA) कार्यान्वित की है। यह स्कीम देश में विकेंद्रीकृत और किसान-अनुकूल एक्सटेंशन सिस्टम को बढ़ावा देती है। इस स्कीम का उद्देश्य राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करना और किसानों को खेती और उससे संबंधित क्षेत्रों में नई कृषि तकनीकों और उत्तम कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है जिसमें किसानों की प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोज़र विज़िट, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करना और फ़ार्म स्कूल आयोजित करना आदि जैसे भिन्न-भिन्न एक्सटेंशन गतिविधियों के माध्यम से कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) को बढ़ावा देना भी शामिल है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फल और सब्जियां सहित बागवानी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम ' एकीकृत बागवानी विकास मिशन' (MIDH) भी कार्यान्वित की है। इस मिशन का उद्देश्य विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से फल और सब्जियों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना है। बेहतर तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों और तकनीशियनों के क्षमता निर्माण की सुविधा भी दी जाती है। इस स्कीम में फसलोपरांत प्रबंधन और मार्केटिंग की व्यवस्था की भी परिकल्पना की गई है।

(ङ) : MPRNL परियोजना 22 राज्यों को कवर करते हुए 40 भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं (5 नई प्रयोगशालाओं सहित) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। वर्तमान में, परियोजना को 2028-29 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, 21 राज्यों ने विभिन्न कृषि वस्तुओं में कीटनाशक अवशेषों के मुद्दे को कम करने/रोकने के लिए सभी हितधारकों के बीच कीटनाशक अवशेषों की निगरानी और अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) और एकीकृत कीट प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर समितियों का गठन किया है।

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फलों और सब्जियों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए विज्ञान-आधारित मानकों को निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिकार है।

खाद्य उत्पादों की बिक्री में लगे खाद्य व्यवसायों को विनियमित करने के लिए, FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियमों के तहत विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 को भी अधिसूचित किया है, जो खाद्य उत्पादों में मौजूद कीटनाशक अवशेषों, भारी धातुओं, विषाक्त पदार्थों आदि के लिए सीमा निर्धारित करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.3.1 के तहत, FSSAI अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल का उपयोग करके आहार जोखिम मूल्यांकन के आधार पर खाद्य वस्तुओं पर कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) निर्धारित करता है।

MRL कीटनाशक अवशेष का अधिकतम स्तर है जो खाद्य या फ़ीड में या उस पर कानूनी रूप से सहन किया जाता है जब कीटनाशकों को श्रेष्ट कृषि पद्धतियों और सीआईबी एंड आरसी (CIB&RC) से प्राप्त डेटा के अनुसार सही ढंग से लागू किया जाता है। खाद्य वस्तुओं में कीटनाशकों की अवशिष्ट मात्रा कुछ निश्चित सीमाओं से अधिक नहीं होनी चाहिए और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(जेड जेड) (xii) के तहत, यदि खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों की मात्रा FSSAI विनियमों द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक है तो उसे असुरक्षित माना जाता है।

अनुबंध।

MPRNL परियोजना (2023-26) के तहत निगरानी किए गए फलों और सब्जियों का राज्य-वार डेटा:

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	एफएसएसएआई* एमआरएल से ज़्यादा मात्रा वाले नमूने
1	कर्नाटक	9176	334
2	तेलंगाना	8198	486
3	पंजाब	6580	55
4	गुजरात	6035	170
5	हिमाचल प्रदेश	5765	92
6	महाराष्ट्र	5295	260
7	केरल	4130	82
8	तमिलनाडु	3601	81
9	राजस्थान	3564	111
10	हरियाणा	2371	152
11	उत्तराखंड	2190	50
12	आंध्र प्रदेश	2104	134
13	मध्य प्रदेश	2081	66
14	उत्तर प्रदेश	1819	64
15	पश्चिम बंगाल	1585	5
16	जम्मू एवं कश्मीर	1489	58
17	ओडिशा	1362	0
18	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1169	1
19	असम	604	1
20	झारखंड	566	0
21	चंडीगढ़	492	2
22	दिल्ली	447	19
23	छत्तीसगढ	29	0
	कुल	**70,652**	**2,223**

* राजपत्र अधिसूचना सं. 1-एसपी(पीएआर)-नोटिफिकेशन-पेस्टिसाइड/स्टैंडर्ड्स-एफएसएसएआई/2017, तारीख 24 दिसंबर, 2018
